- (ख) उपर्युक्त ऋण के श्रंतर्गत जुलाई, 1992 के श्रन्त तक, दिशेष श्राहरण श्रधिकार (एस.डी.श्रार.) के 35.448 मिलियन उपधोग कर लिए गए हैं।
- (ग) पहली परियोजना, 5.12.90 को चालू हो गई थी और दूसरी 29.1. 1992 को चालू हो गई थी। परियोजना को कियान्वयन हेतु विस्तृत तैयारी करने के बाद राज्यों ने खर्च करना शुरू कर दिया है और उन्होंने ऋण के अन्तर्गत प्रतिपृति के दावे भेजने आरंभ कर दिए हैं।

अल्पसंख्यकों की सैक्षिक समस्याम्नों के संबंध में विशेषज्ञ समिति का प्रतिवेदन

3378. मौलाना श्रोबैदुल्ला खान आजमो: क्या मानव संसाधन विकास मेली यह बताने को कुपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि ग्रल्य-संख्यकों की शैक्षिक समस्याओं पर विचार करने के लिए गींठत किए गए विशेषज्ञ दल ने 23 जुलाई, 1992 को सरकार को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;
- (ख) इस विशेषज्ञ दल के सदस्यों के नाम क्या-क्या हैं;
- (ग) इस विशेषज्ञ दल ने अपने प्रतिवेदन में क्या-क्या सिफारिशें की हैं: धौर
- (घ) सरकार उन पर क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है?

मानय संसाधन विकास मंत्रालय (सिका विभाग और संस्कृति विभाग) में उपमंती (कुमारी शैलजा): (क) कार्रवाई योजना में संशोधन करने के लिए गठित 22 कार्य दलों में से श्रल्प-संख्यक शिक्षा पर एक कार्य दल है, जिसने 23 जुलाई, 1992 को श्रपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।

- (ख) श्रल्पसंख्यक शिक्षा पर कार्यदल के सदस्य निम्नलिखित हैं:-
 - श्री अजीज क्रेशी—(ब्रध्यक्ष)
 - श्री झार के . सिन्हा—(सदस्य) अपर-सचिव, शिक्षा विभाग
 - डा. शकील श्रहमद—(सदस्य)
 प्रधानाचार्य, मिजी गालिब
 कालेज, गया (बिहार)
 - डा. खालिक श्रंजुम—(सदस्य)
 महासचिव, श्रंजुमनतरक्की
 उर्द (हिन्द), नई दिल्ली
 - श्रीमती लिज्जी जैकब—(सदस्य) शिक्षा सचिव, केरल सरकार
 - श्री एम एस पंडित—(सदस्य) संयुक्त सचिव (अल्पसंस्यक) कल्याण मंत्रालय
 - श्री के. राजन—(सदस्य)
 सलाहकार (पिछडावर्ग संबंधी प्रभाग)
 योजना आयोग
 - श्री एस. ग्राई. सिद्दीकी—(सदस्य) निदेशक डी. जी. (ई. एण्ड टी.) श्रम मंत्रालय
 - डा. वाई. ऐस. शाह—(सदस्य) संयुक्त सलाहकार, शिक्षा प्रभाग योजना श्रायोग
 - श्री हाकिम मन्जूर—(सदस्य)
 निदेशकः (माध्यमिक शिक्षा)
 जम्मू और कश्मीर
 - श्री भ्राई.डी. खान—(संयोजक)
 विश्विचालय अनुदान भ्रायोग,
 नई दिल्ली
- (ग) श्रीर (घ) श्रन्पसंख्यक शिक्षा पर कार्य दल सहित, विभिन्न कार्य दशों की सिफारिशों को संशोधित कार्रवाई योजना में उपयुक्त रूप से शामिल किया जाएगा जिसे बर्तमान सल्ल के दौरान संसद के समक्ष रखें जाने का श्रस्ताब है।